पत्रांक—01 / प्रा0आ0—25 / 2015 / .... / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

पटना—15, दिनांक—

विषयः— विभिन्न प्राकृतिक / गैर प्राकृतिक / स्थानीय आपदाओं में अनुग्रह अनुदान के बिन्दु पर मार्गदर्शन के संबंध में।

प्रसंगः— आपका पत्रांक—242 दिनांक—27.03.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में बिन्दुवार विभागीय मार्गदर्शन निम्न प्रकार है :—

क्र0	अंचल का नाम	घटित घटना	विभागीय पत्र	निदेश
1	सोनपुर	दिनांक—10.05.2016 को आये आँधी—तूफान से मृत्यु	विभागीय पत्रांक—3811 दिनांक—25.10.2016 के अनुरूप कार्रवाई अपेक्षित है।	आँधी—तूफान को प्राकृतिक आपदा के अन्तर्गत नहीं माना गया है।
2	मकेर	दिनांक—10.05.2016 को आये आँधी—तूफान से मृत्यु	—तदैव—	—तदैव—
3	अमनौर	दिनांक—10.05.2016 को आये तूफान एवं आलोवृष्टि से बागवानी के नष्ट होने के संबंध में।	विभागीय पत्रांक—1973 दिनांक—26.05.2015	विभागीय पत्रांक—1973 दिनांक—26.05.2015 के साथ संलग्न साहाय्य मानदर की कंडिका 5 (i) I B (a) या 5(ii) के अनुरूप कार्रवाई अपेक्षित है।
4	सदर छपरा	बाढ़ 2016 में जैविक खाद्य संस्थान के बह जाने के कारण		व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को अनुग्रह अनुदान देय नहीं है।
5	बनियापुर एवं मकेर	बज्रपात की घटना में मृत	विभागीय अधिसूचना सं0—1418 दि0—17.04.2015	बिना पोस्टमार्टम बिना एफ0आई0आर0 के विभागीय पत्रांक—3825 दिनांक—26.10.2016 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में जिलास्तर से कार्रवाई अपेक्षित है।
6	दिघवारा	बाढ़ 2016 में मुर्गियों के बह जाने के संबंध में।	विभागीय पत्रांक—1973 दिनांक—26.05.2015	विभागीय पत्रांक—1973 दिनांक—26.05.2015 के साथ संलग्न साहाय्य मानदर की कंडिका 6 (i) के अनुरूप कार्रवाई अपेक्षित है।
7	मांझी	आसमानी बिजली गिरने से घर का रेलिंग टूटने एवं घर में दरार पड़ने के संबंध में।	विभागीय अधिसूचना—1418 दिनांक—17.04.2015	विभागीय अधिसूचना सं0—1418 दिनांक—17.04.2015 के आलोक में जिलास्तर से कार्रवाई अपेक्षित है।
8	मांझी एवं रिविलगंज	रिंकी कुमारी एवं संजीव कुमार सिंह के शव नहीं मिलने के संबंध में।		मृतक का शव बरामद नहीं होने की स्थिति में विभागीय पत्रांक—70 दिनांक—12.01.2009 के आलोक में जिलास्तर से कार्रवाई अपेक्षित है।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त दिये गये निदेशों एवं पत्रों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय। उक्त सभी पत्र विभागीय बेवसाईट पर उपलब्ध है।

अनु0—यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0 / —

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक—......1198.............. / पटना—15 दिनांक— 2/5/17

प्रतिलिपि—आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को (अनु0 के साथ विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु) प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

U:\2017\Sanjay Sinha\Unnatural disaster\letter 07-4-17 soe.sec..docx

(131)

पत्रांक–01 / गै0प्रा0आ0–01 / 2010 / .... / आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार, भा0प्र0से0.
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार ।

पटना–15, दिनांक–

विषयः– **बिना पोस्टर्माटम रिपोर्ट एवं एफ0आई0आर0 के अनुग्रह अनुदान के भुगतान हेतु मार्ग दर्शन देने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य के कतिपय जिलों द्वारा घटित प्राकृतिक एवं गैर प्राकृतिक आपदा से मृत्यु की स्थिति में बिना पोस्टर्माटम रिपोर्ट एवं एफ0आई0आर0 के अनुग्रह अनुदान के भुगतान हेतु मार्ग दर्शन की माँग की जाती है।

इस संबंध में विभागीय पत्रांक–3601 दिनांक–28.09.2016 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है कि प्राकृतिक एवं गैर प्राकृतिक आपदा से मृत्यु की स्थिति में कतिपय वैसे मामले जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं है, वैसी स्थिति में मृतक के आश्रित को अनुग्रह अनुदान तभी देय होगा, जब जिला पदाधिकारी स्वंय संतुष्ट हो ले कि मृत्यु प्राकृतिक अथवा गैर प्राकृतिक आपदाजनित कारण से हुई है। तद्नुसार अनुमान्य अनुग्रह अनुदान के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(अनिरूद्ध कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–.........3825......... / आ0प्र0, पटना–15 दिनांक– 26/10/16.

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

D:\2016\sanjay sinha\Natural disaster\letter 21-10-2016 spe sec..docx

124
(47)

पत्रांक–01 / प्रा0आ0–05 / 2016 / .... / आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार, भा0प्र0से0,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सीतामढ़ी।

पटना–15, दिनांक–

विषयः– अनुग्रह अनुदान के मार्गदर्शन के संबंध में।

प्रसंगः– जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, सीतामढ़ी का पत्रांक–571 दि0–10.08.2016

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि प्राकृतिक अथवा गैर प्राकृतिक आपदा से मृत्यु की स्थिति में कतिपय वैसे मामले जिसमें पोस्टमार्टम रिर्पोट एवं एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं है, वैसी स्थिति में मृतक के आश्रित को अनुग्रह अनुदान तभी देय होगा, जब जिला पदाधिकारी स्वयं संतुष्ट हो लें कि मृत्यु प्राकृतिक अथवा गैर प्राकृतिक आपदाजनित कारण से हुई है। तद्नुसार अनुमान्य अनुग्रह अनुदान के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

~~अनु0–यथोपरि~~

विश्वासभाजन

ह0/–

(अनिरूद्ध कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–......3607...... / आ0प्र0, पटना–15 दिनांक– 28/3/16.

प्रतिलिपि–सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

D:\2016\sanjay sinha\Natural disaster\letter 26-08-2016 sec..docx

पत्रांक–01 / गै0प्रा0आ0–01 / 2010 / 3811 / आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार, भा0प्र0से0,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
कैमूर।

पटना–15, दिनांक– 25/11/16

विषयः– **श्री राम, पिता–स्व0 बुधन राम, ग्राम–कुढ़नी का दिनांक–31.05.2014 को रात्रि में अचानक आँधी –तूफान से मृत्यु हो जाने के संबंध में।**

प्रसंगः– आपका पत्रांक–253 दि0–10.10.2014

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक–4052 दिनांक–13.11.2014 में त्रुटिवश आँधी–तूफान प्राकृतिक आपदा के अन्तर्गत आता है, का उल्लेख हो गया है, जबकि आँधी–तूफान को प्राकृतिक या अन्य किसी प्रकार की आपदा की श्रेणी में नहीं माना गया है।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में ही भविष्य में अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

(अनिरूद्ध कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 3811 /आ0प्र0, पटना–15 दिनांक– 25/11/16.

प्रतिलिपि–सभी जिला पदाधिकारी (कैमूर को छोड़कर), बिहार को सूचनार्थ एवं उपर्युक्त अनुसार कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

174 ~~35~~ ~~184~~

-15-

पत्रांक–01 / गै0प्रा0आ0–01 / 2009 (खंड) / 4052 / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)।

पटना–15, दिनांक–13/11/14

विषयः– श्री राम, पिता–स्व0 बुधन राम, ग्राम–कुढ़नी का दिनांक–31.05.2014 को रात्रि में अचानक आँधी–तूफान से मृत्यु हो जाने के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक 253 दिनांक–10.10.2014.

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि आँधी–तूफान प्राकृतिक आपदा के अन्तर्गत आता है, परंतु आपके द्वारा मृत्यु का स्पष्ट कारण अंकित नही किया गया है।

अतएव, प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर मृतक के आश्रित को अनुग्रह अनुदान तभी देय है जब जिला पदाधिकारी संतुष्ट हो लें कि मृत्यु प्राकृतिक आपदा जनित कारण से हुई हों।

अतः उपर्युकत के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

13/11/14

(सुनील कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

\\Pc22-pc\d\2014\Ajay sir\Unnatural Disaster\letter 11-11-14 spe..sec..docx

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्राकृति आपदा के कारण मृतक का शव बरामद नहीं होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की अनुमान्यता के संबंध में पत्र

प्रेषक,

आर0 के0 सिंह,

प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार ।

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार ।

पटना-15, दिनांक- 12/11/07

विषय: प्राकृतिक आपदा के कारण मृतक का/शव बरामद नहीं होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की अनुमान्यता के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पत्र संख्या- 32-34/2005- NDM-I, दिनांक 27.06.2007 से संसूचित अद्यतन मानदर के आलोक में प्राकृतिक आपदा से हुई मृत्यु की स्थिति में मृतक के परिवार को अनुग्रह अनुदान देने का प्रावधान है। सामान्यत: जिन मामलों में मृतक के शव मिल जाते हैं, उनमें सक्षम पदाधिकारी द्वारा मृत्यु का कारण प्राकृतिक आपदा द्वारा प्रमाणित किए जाने पर अनुग्रह अनुदान देने में कोई कठिनाई नहीं होती है परन्तु ऐसे मामले जिसमे प्राकृतिक आपदा के कारण यथा- बाढ़ की वजह से नौका दुर्घटना या फ्लैश फ्लड आने से मृतक का शव नहीं मिलता है उन मामलों के संबंध में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है । ऐसे मामलों में अनुग्रह अनुदान दिए जाने के लिए दिनांक 31.10.08 को आयोजित आपदा राहत कोष समिति की बैठक में सम्यक बिचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राकृतिक आपदा के कारणों से हुई मृत्यु की स्थिति में यदि मृतक का शव नहीं मिलता है तो संबंधित व्यक्ति के फोटो के साथ समाचार पत्रों में संबंधित व्यक्ति के लापता होने की सूचना जिला पदाधिकारी द्वारा प्रकाशित कराई जाएगी तथा एक माह की प्रतीक्षा की जाएगी । इन मामलों में स्थानीय थाना में लापता व्यक्ति के परिजनों द्वारा उसके लापता/ मृत्यु होने से संबंधित सूचना/ प्राथमिकी दर्ज होना चाहिए। उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा जाँच कराई जायेगी। कार्यपालक दण्डाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में साक्ष्य के आधार पर यदि यह पाया जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु प्राकृतिक आपदा से हुई तो उक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर उस व्यक्ति के Next of kin को अनुग्रह अनुदान का भुगतान जिला पदाधिकारी करेंगे। भुगतान करने से पूर्व इस आशय का बंधपत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि यदि यह पाया गया कि व्यक्ति जीवित है तो ऐसी स्थिति में प्राप्त अनुग्रह अनुदान की पूर्ण राशि वापस कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन

(आर0 के0 सिंह)

प्रधान सचिव